राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना--800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या--52 (लो०सू०अ०)/2023--24

श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम--शेकहारा--2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट--बरौनी--851112, जिला--बेगूसराय, बिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
03.07.2023	श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम--शेकहारा--2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट--बरौनी--851112, जिला--बेगूसराय, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक--23.06.2023 इस कार्यालय में दिनांक--28.06.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या–60F 394421 दिनांक--12.06.2023 संलग्न है। अपीलकर्त्ता श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक--16.05.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम--2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी--सह--अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी के सूचना/निर्णय अप्राप्त रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है । साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक--16.05.2023 की प्रति भी संलग्न की है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक--16.05.2023 से संबंधित अभिलेख की माँग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक--21.07.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 3/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी --सह-- प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक-1058/रा०स०(III) दिनांक-04.07.2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/ श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम-शेकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट-बरौनी-851112, जिला-बेगूसराय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–52 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
27.07.2023	दिनांक –03.07.2023 को पारित आदेश के क्रम में अभिलेख दिनांक–21.07.2023 को उपस्थापित की गई परन्तु अन्य कार्यो में व्यस्त रहने के कारण इसे इसकी अगली तिथि 27.07.2023 को निर्धारित की गई। लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता को उनके द्वारा समर्पित प्रपत्र–'क' दिनांक– 16.05.2023 के आलोक में अपने निर्णय पत्र संख्या–84, दिनांक–08.06.2023 के द्वारा भेजा है। विदित हो कि अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र–'क' दिनांक–16.05.2023 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की माँग की गई है *"उपर्युक्त विषयक एवं सदर्भित ज्ञापांक 307, दिनांक 16.05.2023 को एक प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित है। पूर्व में मामले से संबंधित है। मूल रुप में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को 06 स्मार पत्र भेजते हुए उसकी एक–एक प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय को भी भेजी गई है।* *कृपया उन सभी 06 स्मार पत्रों की प्राप्ति डोकेट संख्या सहित उस पर निदेशानुसार जो भी समुचित प्रासंगिक साक्ष्यों की छायाप्रतियों से संबंधित संचिका की सम्पूर्ण टिप्पणी पृष्ठों की छायाप्रति सहित प्रमाणिक गैर पर सत्यापित रुप में उपलब्ध कराए।"* उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया *" सूचना है कि 'अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।'* *आपके प्रपत्र 'क' दिनांक 16.05.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने उल्लिखित विभिन्न आवेदनों जो विभिन्न तिथियों का है। सूचना का अधिकार संशोधित अधिनियम के तहत एक ही शुल्क पर विभिन्न आवेदनों की सूचना देना उचित प्रतीत नहीं होता है।* *अतः आपसे अनुरोध है कि सभी आवेदनों की द्वितीय प्रति के साथ*

अलग–अलग शुल्क भी संलग्न का दे ताकि अग्रत्तर कार्रवाई की सूचना ससमय आपको भेजा जा सके।''

उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रतीत होता है की अपीलार्थी को माँगी गई सूचना उपलब्ध इस आधार पर नहीं कराई गई है कि दिए गए आवेदन विभिन्न तिथियों के है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कहीं भी इस तरह की सूचना दिये जाने पर कोई निषेध नहीं है कि विभिन्न तिथि में दिये गए आवेदन की सूचना एक साथ नहीं माँगी जा सकती है।

अतः अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि वे एक पक्ष के अन्दर भेजे गए सभी आवेदनों का विवरण (छायाप्रति के साथ) लोक सूचना पदाधिकारी को उपलब्ध करायें तथा लोक सूचना पदाधिकारी उन आवेदन पत्रों/पत्रों की छायाप्रति प्राप्त होने के उपरांत राज्यपाल सचिवालय के स्तर पर किये गए कार्रवाई की सूचना अगले एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध करा दें।

तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।

27/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक-...1205/रा०स०(सू०)

दिनांक 02-08-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कुलपति, श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम-शेकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट-बरौनी-851112, जिला-बेगूसराय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राजभवन, पटना--800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या--53 (लो0सू0अ0)/2023--24
श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम--शेकहारा--2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट--बरौनी--851112, जिला--बेगूसराय, बिहार
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक
03.07.2023	श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम--शेकहारा--2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट--बरौनी--851112, जिला--बेगूसराय, बिहार के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक--23.06.2023 इस कार्यालय में दिनांक--28.06.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या--60F 394420 दिनांक--12.06.2023 संलग्न है। अपीलकर्त्ता श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक--16.05.2023 को सूचना अधिकार अधिनियम--2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी--सह--अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी के सूचना/निर्णय अप्राप्त रहने के कारण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है । साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक--16.05.2023 की प्रति भी संलग्न की है। लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक--16.05.2023 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक--21.07.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। ह0/- 3/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी --सह-- प्रथम अपीलीय प्राधिकार ज्ञापांक-1059/रा0स0(III) दिनांक-04.07.2023 प्रतिलिपि:- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/ श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम-शेकहारा-2 राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट-बरौनी-851112, जिला-बेगूसराय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हे प्रेषित। आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित। ह0/- 3/7/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–53 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम–शेकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय, बिहार

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.07.2023	दिनांक –03.07.2023 को पारित आदेश के क्रम में अभिलेख दिनांक–21.07.2023 को उपस्थापित की गई परन्तु अन्य कार्यो में व्यस्त रहने के कारण इसे इसकी अगली तिथि 27.07.2023 को निर्धारित की गई। लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता को उनके द्वारा समर्पित प्रपत्र–'क' दिनांक–16.05.2023 के आलोक में अपने निर्णय पत्र संख्या 84, दिनांक–08.06.2023 के द्वारा भेजा है। विदित हो कि अपीलार्थी द्वारा प्रपत्र–'क' दिनांक–16.05.2023 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की माँग की गई है:– *"उपर्युक्त विषयक से संबंधित सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सम्बोधित आवेदन पत्र की एक प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय को भी भेजी जाती रही है जो कुल 11 संख्या में है।* *कृपया कुल 11 स्मार पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्ति का पूर्ण ब्योरा अपने डोकेट संख्या के साथ दी जाय। साथ ही महामहिम महोदय का उसपर जो आदेश/निर्णय हुआ और उस आधार पर अनुपालन में जो भी समुचित कार्रवाई की गई है पूर्ण ब्योरा के साथ और प्रासंगिक साक्ष्यों तथा संबंधित संचिका की सम्पूर्ण टिप्पणी पुष्टों की भी छायाप्रतियों की अभिप्रमाणित रुप में मुहैया कराए।"* उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया *" सूचना है कि 'अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। केन्द्रीय लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।'* *आपके प्रपत्र 'क' दिनांक 16.05.2023 जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने उल्लिखित विभिन्न आवेदनों जो विभिन्न तिथियों का है। सूचना का अधिकार संशोधित अधिनियम के तहत एक ही शुल्क पर*	

विभिन्न आवेदनों की सूचना देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी आवेदनों की द्वितीय प्रति के साथ अलग–अलग शुल्क भी संलग्न का दे ताकि अग्रत्तर कार्रवाई की सूचना ससमय आपको भेजा जा सके।"

उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रतीत होता है की अपीलार्थी को माँगी गई सूचना उपलब्ध इस आधार पर नहीं कराई गई है कि दिए गए आवेदन विभिन्न तिथियों के है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कहीं भी इस तरह की सूचना दिये जाने पर कोई निषेध नहीं है कि विभिन्न तिथि में दिये गए आवेदन की सूचना एक साथ नहीं माँगी जा सकती है।

अतः अपीलार्थी को निदेश दिया जाता है कि वे एक पक्ष के अन्दर भेजे गए सभी आवेदनों का विवरण (छायाप्रति के साथ) लोक सूचना पदाधिकारी को उपलब्ध करायें तथा लोक सूचना पदाधिकारी उन आवेदन पत्रों/पत्रों की छायाप्रति प्राप्त होने के उपरांत राज्यपाल सचिवालय के स्तर पर किये गए कार्रवाई की सूचना अगले एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध करा दें।

तद्नुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें।

27/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी
–सह–
प्रथम अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक-...1206/रा०स०(II) दिनांक-..02-08-2023

प्रतिलिपिः- लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-कुलपति, श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, ग्राम-शेकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट-बरौनी-851112, जिला-बेगूसराय, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, एन.आई.सी., राजभवन, पटना को आदेश के प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/7/2023

विशेष कार्य पदाधिकारी